

फा.सं. 37-01/2009-प्रशासन/ 358

भारत सरकार

Government of India

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

CENTRAL TRANSLATION BUREAU

राजभाषा विभाग : गृह मंत्रालय

Deptt. of Official Language: Ministry of Home Affairs

पं. दीन दयाल अंत्योदय भवन, 8वां तल, लोदी रोड,

8th Floor, Pt. Deen Dayal Antyodaya Bhawan,

केंद्रीय कार्यालय परिसर, नई दिल्ली-110003

C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

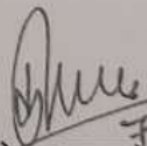
दिनांक : 01 अगस्त, 2026

कार्यालय आदेश

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 4(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में पीड़ित महिला कर्मचारियों की शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित "आंतरिक परिवार समिति" (आईसीसी) का गठन किया जाता है:-

1. श्रीमती विभा मित्तल, सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो - पीठासीन अधिकारी
 2. श्रीमती शशिकला, सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो - सदस्य
 3. डॉ. आनंद प्रकाश यादव, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, कें.अनु.ब्यूरो - सदस्य
2. उपर्युक्त समिति के सदस्य का कार्यकाल सामान्यतः 03 वर्ष होगा ।
3. उक्त समिति ऊपर वर्णित अधिनियम के प्रावधानों एवं उक्त विषय पर सरकार द्वारा जारी-निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी ।

यह कार्यालय आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।


(नरेश कुमार) 7/8/26

संयुक्त निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि:-

1. सभी संबंधित अधिकारी ।
2. उप सचिव प्रशासन, राजभाषा विभाग, एनडीसीसी-II, भवन, चतुर्थ तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली ।
3. निदेशक के निजी सहायक
4. संयुक्त निदेशक के निजी सहायक
5. ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
6. सूचना पट्ट ।